(6)

(23)

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.......................

सं0–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2020–6052/ मो0 अशरफ जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर के विरूद्ध दिनांक–13.10.2019 को सहरसा के डुमरैल चौक के पास अवैध शराब से लदे ट्रक बरामदगी मामले में प्राथमिकी तीन दिनों बाद दर्ज कराने, अभियुक्त को विलंब से न्यायालय में पेश किये जाने, बरामदगी स्थल एवं ट्रक का नम्बर जब्ती सूची में गलत अंकित किये जाने आदि आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उक्त मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 द्वारा संसूचित "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्डादेश के विरूद्ध मो0 जमाल द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के अधीन पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल किया गया।

3. मो0 जमाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में वर्णित बचाव के बिन्दुओं की समीक्षा करने हेतु संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति के द्वारा पत्रांक–444 दिनांक–24.01.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समिति द्वारा मो0 जमाल के विरूद्ध सभी आरोपों को साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं पाया गया है तथा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को असमानुपातिक मानते हुए सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश पर पुनर्विचार किये जाने की अनुशंसा की गयी।

4. मो0 अशरफ जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा उक्त दण्डादेश दिनांक–27.11.2021 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14726/2022 दायर किया गया। दिनांक–16.01.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है।

" It is needless to state that appropriate decision shall be taken by the concerned respondent authorities, on the review petition filed by the petitioner, within a period of four weeks of receipt/production of a copy of this order. "

5. मो0 अशरफ जमाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक–13.12.2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–16.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–5276 दिनांक–31.12.2021 द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के अधार पर समीक्षोपरांत मो0 जमाल के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना सं0–02 दिनांक–01.01.2025 द्वारा संसूचित किया गया। उक्त के आलोक में मो0 जमाल द्वारा दिनांक–01.01.2025 के अपराह्न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

6. इस प्रकार मो0 अशरफ जमाल दिनांक–27.11.2021 से दिनांक–01.01.2025 तक सेवा से बर्खास्त रहने की अवधि अविनियमित है, जिसके विनियमन हेतु मो0 जमाल द्वारा अनुरोध किया गया है।

7. अतः सम्यक् विचारोपरांत मो0 अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर के सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित दिनांक–27.11.2021 से 01.01.2025 तक की अविनियमित अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–12(2) एवं 12(3) के अधीन कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2020–6052/ पटना, दिनांक–17.10.25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय प्रोग्रामर एवं मो0 अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/2025

सरकार के संयुक्त सचिव